

2018/00176

6/18

ACMS  
P/M

प्रपत्र-6

**"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"**  
(रा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप खण्ड अधिकारी महोदय

.....  
.....

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आगदशाह की 6वीं की जमाबन्दी

संवत् 2073-76 खाता संख्या 211 में -

देरा नाम आमराज तेजा एवं मोहनराज तेजा हैं।  
पहला आमराज तेजा एवं मोहनराज तेजा संवत् 2070-73 में मोहनराज तेजा नाम है।

अतः देरा नाम आमराज तेजा के आगदशाह की 6वीं संवत् 2073-2076 खाता सं. 211 में देरा नाम मोहनराज तेजा नाम एवं मोहनराज तेजा नाम है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

मजमें कान है उपस्थित जन्ममुद्रा से प्रकृत की गरी।

प्रमाण यह है कि देरा नाम आमराज तेजा का नाम

मोहनराज तेजा एक ही व्यक्ति के नाम है।

दिनांक

की मातामोहनराज तेजा के नाम से जाना जाता है।

समस्त लखनऊ के जमाबंदी में देरा नाम आमराज तेजा के नाम पर -

मोहनराज तेजा के नाम से जाना जाता है। मोहनराज तेजा के नाम पर -

आमराज तेजा एवं मोहनराज तेजा के नाम पर -

प्रार्थी (मोहनराज तेजा)

.....

.....

.....

.....

प्रकरण नं 66/18

२२.५.१८

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

Sir,

जार्जी मोहनराय शं. तेजाय का नाम राजस्व रेकर्ड पत्रावली गांव गोगुपुरा  
संवत् 2070-73 खेता नं. 47 के एवं राशनकार्ड, आध्यात्मिक, पञ्चक फल के  
मोहनराय शं. तेजाय नाम धर्म है पत्रावली जार्जी का नाम राजस्व रेकर्ड पत्रावली  
गांव आगापशाह की वानी संवत् 2073-2076 खेता नं. 211 के डामरा शं. तेजा  
धर्म है अतः जार्जी का नाम राजस्व रेकर्ड आगापशाह की वानी के डामरा शं.  
तेजा के स्थान पर मोहनराय शं. तेजाय नाम सुद्ध करके पत्रावली की अधिशंका  
की जाती है।

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

*[Signature]*  
22/5/18

*[Signature]*  
प. उपखण्ड अधिकारी

पटवारी व भू.अ. निरीक्षण की जांच रिपोर्ट एवं सहकारियों  
के बयानों व सामान साक्ष्य दस्तावेजों के माध्यम पर  
जार्जी का नाम 'डामरा वल्लभ तेजा' के स्थान पर  
'मोहनराय शं. तेजाय' दुरुस्त करने की अनुशंसा  
की जाती है।

*[Signature]*  
तहसीलदार (भू.अ.) खेड़वा  
आदेश

तहसीलदार खेड़वा की जांच रिपोर्ट एवं सहकारियों के बयानों  
के माध्यम व जार्जी द्वारा उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजों के माध्यम  
पर जार्जी का नाम राजस्व रेकर्ड गोगुपुरा के खेता नं. 47 के जार्जी  
नाम डामरा वल्लभ तेजा धर्म है जो गलत है सही नाम मोहनराय/तेजाय  
है। पत्रावली का गणपथ व भवनों का सुद्ध किया गया। तहसीलदार खेड़वा  
का मोहनराय रिपोर्ट है कि डामरा वल्लभ तेजा के स्थान पर मोहनराय  
तेजाय नाम दुरुस्त कर मोहनराय शं. तेजाय किया जावे। पत्रावली  
केवल सुधार हेतु शरिफा इफ्तार है।



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन